

ग्राम काझाखुर्द में निर्माणकार्य के विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना, जिसमें गम्भीर रूप से घायल 01 व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना घटना में संलिप्त 04 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार ,उनके निशां देही से घटना में प्रयुक्त एक अदद फावड़ा व तीन अदद बांस की लाठी बरामद होना-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री क्रिस राजपूत के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 28.03.2026 को मु0अ0सं0 111/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(2)/333 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 04 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त घटना में प्रयुक्त एक अदद फावड़ा व तीन अदद बांस की लाठी बरामद किया गया ।

उल्लेखनीय है कि ग्राम काझा खुर्द में दिनांक 26.03.2026 को निर्माण कार्य के विवाद को लेकर लाठी डण्डा आदि से लैश होकर गम्भीर मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके क्रम में दिनांक 26.03.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2), 333, 74, 309(6) बीएनएस बनाम नन्दलाल उर्फ पिन्टू आदि 23 नफर पंजीकृत किया गया । अस्पताल में इलाज के दौरान मारपीट से गम्भीर रूप से घायल हरगोविन्द पुत्र सगुवर निवासी खाजापुर पोस्ट पल्लिगढ़ जिला मऊ की दिनांक 27.03.2026 को मृत्यु हो गयी । साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम विवेचना मु0अ0सं0 111/2026 धारा 191(2)/109(1)/103(1)/115(2)/352/351(2)/333 बीएनएस बनाम आदि 23 नफर के विरुद्ध सम्पादित की गयी । वाछिंत अभियुक्तों की तलाश व गिरफ्तारी हेतु थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था । इसी क्रम में नि0अ0 घनश्याम यादव मय हमराह उ0नि0 लल्लू यादव, उ0नि0 रमन कुमार मिश्र, का0 रोहित सिंह , का0 अभिषेक सिंह, का0 विशाल वर्मा व का0 मनीष यादव के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 04 नफर अभियुक्तगण 1.नन्दलाल उर्फ पिन्टू पुत्र निरहू निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 42 वर्ष 2. वकील पुत्र धीरज राम निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष 3. लालजी पुत्र धीरज राम निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष व 4. देवेन्द्र पुत्र रामबदन निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष को ग्राम काझाखुर्द हरिजन बस्ती के पास से समय करीब 9.30 बजे दिनांक 28.03.2026 को अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 191(2), 109(1), 103(1), 115(2), 352, 351(2), 333 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद फावड़ा व तीन अदद बांस की लाठी

बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

नाम पता अभियुक्त गण -

1. नन्दलाल उर्फ पिन्टू पुत्र निरहू निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 42 वर्ष
2. वकील पुत्र धीरज राम निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष
3. लालजी पुत्र धीरज राम निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष
4. देवेन्द्र पुत्र रामबदन निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

ग्राम काझाखुर्द में गम्भीर मारपीट की कारित हुयी घटना में तथा मृतक हरगोविन्द के हत्या की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद फावड़ा व तीन अदद बांस की लाठी बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- नि0अ0 घनश्याम यादव
- 2- उ0नि0 लल्लू यादव
- 3- उ0नि0 रमन कुमार मिश्र
- 4- का0 रोहित सिंह
- 5- का0 अभिषेक सिंह
- 6- का0 विशाल वर्मा
- 7- का0 मनीष यादव

02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की 02 अदद मोटर साईकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी महोदय घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा दिनांक 28.03.2025 को चुम्मानार से 02 अदद मोटरसाईकिल के साथ 02 नफर अभियुक्त 1. इन्द्रेश गौड पुत्र छोटेलाल गौड निवासी चुम्मानार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ 2. सत्यम राय उर्फ बिल्लू पुत्र स्व0 विनय राय निवासी अमिला कोट थाना घोसी जनपद मऊ को समय करीब 12.49 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सुदा अभियुक्तगण नियमानुसार कार्यवाही कर माननीय न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग विवरण -

1. मु.अ.सं. 245/25 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी 317(2)/317(4) बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

2. मु.अ.सं. 190/25 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी 317(2)/317(4) बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

गिरफ्तारसुदा नाम पता अभियुक्तगण

(1) इन्द्रेश गौड पुत्र छोटेलाल गौड निवासी चुम्मानार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

(2) सत्यम राय उर्फ बिल्लू पुत्र स्व. विनय राय निवासी अमिला कोट थाना घोसी जनपद मऊ 26 वर्ष

वांछित अभियुक्त

1. पवन राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासी चुम्मानार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण

1. मोटरसाईकिल जिसका रजि.न. UP 54 AE7815 जिसका चेसिस नम्बर MBLHAR078JHG26905 स्पेलंडर काले रंग

2. मोटरसाईकिल रजि.न. UP50CB8433 व चेसिस नम्बर MBLHAW126MHF18885 स्पेलंडर काले रंग

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. पंकज यादव थाना दोहरीघाट मऊ
2. उ.नि. संजय सिंह थाना दोहरीघाट मऊ
3. हे.का. सन्तोष यादव थाना दोहरीघाट मऊ
4. हे.का. राम लवट थाना दोहरीघाट मऊ
5. का. सदरे आलम थाना दोहरीघाट मऊ
6. का. संजीव कुमार सिंह थाना दोहरीघाट मऊ
7. का. जितेन्द्र कुमार यादव थाना दोहरीघाट मऊ

जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 26.03.2026 को पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान द्वारा समस्त थानों पर क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध

तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर प्राप्त 91 प्रार्थना पत्रों में से कुल 03 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 20,000/- (बीस हजार) रुपये थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 20,000/- (बीस हजार) रुपयये पीडित धर्मेन्द्र सोनकर पुत्र विध्यांचल सोनकर निवासी जजौली थाना मधुबन जनपद मऊ की कुल 20,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामकर्ता-

1. उपनिरीक्षक श्री दीप नरायण (नोडल अधिकारी)
2. महिला उपनिरीक्षक प्रियंका सिंह (सहायक नोडल अधिकारी)
3. हेड ऑपरेटर श्री पवन सिंह
4. आरक्षी अजीत कुमार पाल
5. महिला आरक्षी बिन्दू पटेल

रात में हुडदंग मचाने वाले व विवाद करने वाले 06 आरोपिया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर मऊ के कुशल

नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा रात में हुड़दंग मचाने वाले तथा विवाद करने वाले 06 नफर आरोपियों की अन्तर्गत धारा 170 बी0एन0एस0एस0 (151 सीआरपीसी) में गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार आरोपियो का विवरण:-

1. रंजन कुमार पुत्र स्व जवाहर 0लाल
2. संजय कुमार पुत्र जवाहर लाल
3. लल्लन कुमार पुत्र स्वजवाहर लाल 0
4. राजकुमार पुत्र स्व जवाहर 0लाल समस्त साकिनान खेदूपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
5. नौसाद पुत्र सलाउद्दीन
6. अन्सार पुत्र सलाउद्दीन समस्त साकिनान डोमनपुरा कोइराट थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

1. उअरविन्द कुमार सिंह 0नि0
2. उ रवि विश्वकर्मा 0नि0
3. हेविनोद यादव 0का0
4. हेराजेन्द्र सिंह बादल 0का0
5. काअरूण कुमार यादव 0